

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पुस्तकालय कूलपत्रिका जीवाजी
 विश्वविद्यालय के नाम दो ढी किंवा जारी न
 किए खेत्र अथवा प्रस्तुती के बाहर से।
 सर्ववित विषय पर यदि दूर्घटना में पुस्तक
 विषय कुआ हो तो उन्हें एक दिनांक
 अवश्य लिखा जावे जिससे सावधा हो।



ग्राम : ग्वालियर
 दूरभाष : (0751) 2341896
 (0751) 2442829
 फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कूलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर
 क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ 41671

दिनांक: 16/03/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध महाविद्यालय प्राप्त एक कॉलेज ऑफ ऐक्सेलोर्स, ग्वालियर (0751-2346113) को
 सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसारे
 प्रयात करने के लिये माननीय कुलपति महोदय स्थानी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिविभाग
 1973 के परिविष्ट 27(10) के अन्वर्तन निम्नानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.ए.व. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक) (0751-2442603)

(2) प्रो. उमेश होलांगी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

(3) डॉ. योगेश उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, मैनेजमेंट अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुसेध है कि वे परिविष्ट 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर
 शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक रॉयल्स, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुबन्ध/अन्वापति प्रगाण-पत्र, भवन, ग्रीष्मा परिसर एवं
 पाल्यक्रम/आडिडेन्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रगाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक रॉयल्स की
 नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुबन्धों अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने
 के 30 दिवस के अन्वर्तन विरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से इनपर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है
 कि वे उक्त विधायित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा
 करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना
 आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोगाल को भेज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वयं
 जारीनी और पुक़ विरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दब्ल रुपय 25,000/- जगा करें होगे। तत्परता ही विरीक्षण
 समिति का उद्दिष्ट किया जायेगा। परिविष्ट 27(10) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देना अवश्यिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यात् अशीक्षक / कार्यालय सहायक प्रत्यावली लेकर जारी तथा महाविद्यालय की
 वस्तुस्थिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.ए. / मालदेव महाविद्यालय द्वारा देय
 होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आद्यह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण
 विनांक विधायित कर महाविद्यालय का विरीक्षण करें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्वर्तन करने की लायकता करें।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, संतुष्टुता भवन, भोगाल, 03 अक्टूबर 2009 सम्मान क्षमता से विरीक्षण समिति को देवाना देना।
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जिनी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)